उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या- 28/2016/1188/43-1-2016-14(41)/2006
लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/ 2003 टीसी-4 दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सुचारू कार्य संचालन हेतु समय-समय पर विभिन्न सृजित पदों के क्रम में निम्नानुसार कनिष्ठ सहायक के 10 अस्थायी पदों को दिनांक 28-2-2017 तक सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि ये पद निर्दिष्ट तिथि से पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किए जा सकते है :-

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता	अभ्युक्ति
1-	कनिष्ठ सहायक	10	5200-20200/ 2000	उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 में निर्धारित व्यवस्थानुसार	नियमित

2- उक्त नव सृजित पद भरे जाने की तिथि अथवा आदेश जारी होने की तिथि से जो भी बाद में हो, सृजित माने जाएगें।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन से सम्बन्धित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0सं0-ई-9-370/दस-2016, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- /2016/1188(1)/43-1-2016 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डॉ0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।